12/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद का निर्णय दिनांक 6/9/22 को हो चुका है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाया जाना उचित नहीं है अत: इसी स्तर पर यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:35 IST
Reason: SelfAttested